

## फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २००९-२०१०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो शैलेन्द्र कुमार जैन, सम्पत्ति खरीदने वाले का नाम प्रभारी जिला प्रबन्धक, मन्दासौर
2. वर्तमान धारित पद प्रभारी जिला प्रबन्धक, मन्दासौर
3. वर्तमान वेतन ४४२५/ + भत्ते अगली वेतनवृद्धि की तारीख १-१-२०१० से लागू

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
हन्दीर	४०० वर्गफीट का प्लेट	—	लगभग १२ लाख रुपये	स्वयं व पत्नी श्रीमती अंजना जैन के संयुक्त नाम पर	खरीदा था। क्रय की तारीख ५-३-२००४ राशिक ५.०७ लाख से ① श्री गोपालदास कटैयालाल व ② श्रीमती लक्ष्मीबाई गोपालदास अथवा हन्दीर से खरीदा था।	—	—

\* - जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, १९५९ के नियम १८(३) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवाना-पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपनो नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम शैलेन्द्र कुमार जैनपद प्रभारी जिला प्रबन्धक, मन्दासौर